UPBB010067742022

न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),

न्यायालय संख्या–44, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–3304/2022

अमित पुत्र कौशल

निवासी ग्राम मुलाहिमपुर परसेण्डी थाना तालगांव जिला सीतापुर।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश ––––––––––––––विपक्षी।

मुकदमा अ.स. 253/2022
धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता,
व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
थाना घुंघटेर, जिला बाराबंकी।

दिनांक 19.10.2022

प्रार्थी/अभियुक्त अमित मुकदमा अपराध संख्या 253/2022 अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना घुंघटेर जिला बाराबंकी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसका जमानत प्रार्थना पत्र अन्य किसी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है। याची निर्दोष हैं जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। याची को उक्त वाद में गलत तौर से अभियुक्त बनाया गया है। याची को वादी मुकदमा पूर्व से भली भांति जानती व पहचानती है। याची की ग्राम ओदरिया पोस्ट दपेरा थाना घुंघटेर बाराबंकी में रिश्तेदारी है, जिस कारण याची का अक्सर आदतन उक्त गांव में आना जाना रहता है इसी कारण उक्त गांव के वासी याची को जानते व पहचानते हैं। याची ने उक्त वाद की कथित पीडिता को न तो बहला फुसला कर उसके विधिक संरक्षण से वंचित किया है, न ही उसके

साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया है। उक्त वाद की वादिनी प्राय: अपनी पुत्री (पीडिता) के विवाह संयोजन की बात अपनी इच्छा से याची के साथ करने की बात चलाया करती थी परन्तु आर्थिक असमानता के कारण याची द्वारा प्रत्येक बार विवाह से इंकार किया गया परन्तु वादिनी अपनी पुत्री के सुंदर भविष्य की आशा से बाध्य होकर अपना हठधर्मिता के कारण, दुर्भावना से प्रेरित होकर, याची को दबाव में लेकर अपनी पुत्री का विवाह कराने की नियत से झूठा मुकदमा लिखाया गया। वादिनी ने उक्त विचारों को मूल रूप देने के लिए स्वयं अपनी पुत्री को कहीं गायब कर एक काल्पनिक घटना व कहानी कथित घटना के बना कर, कथित घटना के चार दिन बाद याची के विरुद्ध मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। अन्ततः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन मामला यह है कि प्रार्थनी की लड़की पीड़िता उर्म 16 साल दिनांक 21.09.2022 को दिन में 10 बजे घर से चली गयी है। प्रार्थनी मौके पर मौजूद नहीं थी। प्रार्थनी इधर उधर पता लगाया तो कही पता नहीं चला तथा गाँव कि लड़की सुधा पुत्री अशोक से मालुम हुआ कि अमित से बात चीत करती थी। जो अज्ञात में है। सुधा ने अमित का मोबाइल नम्बर 8799635469 दिया था। इसी आधार पर थाना घुंघटेर में मुकदमा अपराध संख्या 253/2022 अभियुक्त अमित के विरुद्ध दर्ज हुआ।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि जहां घटना दिनांक 21.09.2022 की बतायी गयी है वहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 25.09.2022 को दर्ज करायी गयी है। इस सन्दर्भ में कहा गया कि सोच समझ कर कानूनी सलाह लेते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है लिहाजा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरेध करते हुए सम्बन्धित थाना/विवेचक द्वारा दाखिल प्रपत्रों की तरफ न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा है कि सम्बन्धित विद्यालय का जहां पर पीड़िता ने पढ़ाई की है, में उसकी जन्मतिथि 06.12.2005 अंकित है। इसका तात्पर्य है कि घटना दिनांकित 21.09.2022 को पीड़िता की उम्र 17 वर्ष के करीब थी। पीड़िता द्वारा अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अपनी उम्र लगभग 19 वर्ष बतायी गयी है एवं कहा है कि दिनांक 11.09.2022

को घर से झगड़ा होने से नाराज होकर अभियुक्त अमित के साथ चली गयी थी और मन्दिर में शादी कर ली थी।

अपने अन्तर्गत धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी पीड़िता ने बताया कि मैं अमित को दो साल से जानती थी। मैं अमित से प्यार करती थी। मेरे घर वाले जब शादी को राजी नहीं हुए तब मैं अपनी मर्जी से अमित के घर चली गयी। वहां मन्दिर में शादी कर लिया। हम दोनों पति–पत्नी की तरह रह रहे थे। हमारे बीच शारीरिक सम्बन्ध मेरी मर्जी व सहमति से बना था।

पीड़िता के बयान से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा इस स्तर पर पीड़िता के प्रथमदृष्टया नाबालिग होने के बावजूद शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है। प्रथमदृष्टया इस स्तर पर मामला गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमित के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 253/2022 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 थाना घुंघटेर जिला बाराबंकी के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3304/2022 निरस्त किया जाता है।

दिनांक 19.10.2022

(राजीव महेश्वरम)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय कक्ष संख्या–44, बाराबंकी।
J.O. Code–UP6501